मुख्य अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान।
E-Mail.ID-ce.siwan@gmail.com

अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना संख्या (EOI)–01/2026–27

पत्रांकः–02–कार्य(नहर)–20–109/2026–............................, सिवान, दिनांकः–................................../2026

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान परिक्षेत्राधीन कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान, मैरवा, भोरे, गोपालगंज, छपरा, एकमा, मढ़ौरा, महाराजगंज एवं मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के क्षेत्राधीन आकस्मिक/अत्यावश्यक नहर सम्पोषण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 253 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा निर्गत नहर संचालन तथा रख–रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित) पर निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी इत्यादि के आपूर्ति/सेवा हेतु संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों पर इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रण किया जाता है।

1. संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं का जल संसाधन विभाग में किसी श्रेणी में या संबंधित जिला में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा।
2. निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार/विभागीय नियम/दिशा–निर्देश लागू होंगे।
3. सभी प्रकार के टैक्स/रॉयल्टी/मालीकाना फीस/जी0एस0टी0/Income tax/लेवर सेस इत्यादि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
4. इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के साथ निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से सम्बोधित आवेदन पत्र के साथ बन्द लिफाफा में जमा करना होगाः–
   (i) वैध निबंधन पत्र।
   (ii) पैन कार्ड की प्रति।
   (iii) जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
   (iv) वैध आचरण प्रमाण–पत्र।
   (v) आधार कार्ड की छायाप्रति।
   (vi) पूर्ण स्थाई एवं अस्थाई पता।
   (vii) मोबाईल नं0/Whatsapp Mobile No
   (viii) ई–मेल आई0डी0।
5. संवेदकों को निम्न रूप से अंकित बिन्दुओं के साथ शपथ–पत्र मूल में जमा करना होगाः–
   I. "I, the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as blacklisting"
   II. यह कि मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
   III. यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar, Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
   IV. कार्य मिलने पर मैं गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ कार्य सम्पादित करने को तैयार हूँ। गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर विभाग कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।
   V. मजदूर सप्लाई कार्य मिलने पर मैं मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के अनुरूप श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर पर भुगतान करूंगा।
   VI. खरीफ सिंचाई/रब्बी सिंचाई अवधि के समय आकस्मिक कार्य की प्रकृति के देखते हुए 24 घंटे मजदूरों एवं आवश्यक समाग्रियों के साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध रहूँगा। अनुपस्थित रहने पर तत्क्षण मेरे उपर संबधित प्रमंडल नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
6. क्रम सं0–04 एवं 05 के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले इच्छुक संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्त्ति/सेवा लिया जाएगा। इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) में कार्य कराने से संबंधित प्रमंडल का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का आमंत्रण दिनांक 08.05.2026 से 15.05.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में

प्राप्त किया जायेगा। कोटेशन दिनांक 15.05.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में संवेदकों/ आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्य अभियंता कार्यालय, सिवान में खोला जायेगा एवं अगले कार्य दिवस को सूचीबद्ध की कार्रवाई की जायेगी। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

8. परिक्षेत्रान्तर्गत नामित प्रमंडल द्वारा आकस्मिकता के आधार पर मांगे गए सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्त्ति तत्क्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. सूचीबद्ध संवेदकों/ आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं से सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्त्ति हेतु संबंधित प्रमंडल नियमानुकूल न्यूनतम दर पर प्राप्त कर न्यूनतम दर दाता से एकरारनामा कर कार्य ससमय सम्पन्न कराया जायेगा। एकरारित दर किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभर हेड रहित) अथवा संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगा।
10. श्रमिकों की आपूर्त्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दिशा निदेश/अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। श्रमिकों का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दर के आधार पर किया जायेगा।
11. मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीबद्ध का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का द्योतक नहीं होगा।
12. आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा मात्र मोबाईल फोन के माध्यम से भी सूचित कर उपलब्ध Empanelled संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।
13. खरीफ सिंचाई/रब्बी सिंचाई अवधि में कार्य कराने के संबंध में विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा–निर्देश का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त प्रमंडल द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
15. मुख्य अभियंता को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. इच्छुक संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ता/सेवा प्रदाताओं द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से एक या एक से अधिक या सभी कार्य हेतु इस परिक्षेत्राधीन कार्य प्रमंडलों (कुल–09 अदद्) में से एक या एक से अधिक अथवा सभी 09 (नौ) प्रमंडलों में आवेदन दिया जा सकता है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संवेदक द्वारा अभिरूचि (हाँ/नहीं अंकित करें)	प्रमंडल का नाम जहाँ कार्य करने को इच्छुक हैं।			
			1. प्रमंडल का नाम	2. प्रमंडल का नाम	3. प्रमंडल का नाम	4. प्रमंडल का नाम
1	मजदूर सप्लाई कार्य					
2	मशीन सप्लाई कार्य (ट्रैक्टर, जे0सी0बी0, ग्रास कटर, कंक्रीट मिक्सचर मशीन इत्यादि)					
3	सामग्रियों की सप्लाई कार्य (बालू, मिट्टी, सीमेंट, ईंट, मिट्टी, ई0सी0 बैग, बॉस फिल्टर इत्यादि)					

पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 1330 दिनांक 18.04.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विस्तृत जानकारी WWW.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

22/4/26

(ई0 रजी हैदर),
मुख्य अभियंता।

पत्रांकः–1376/ सिवान, दिनांकः–22/04/2026

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईड एवं समाचार पत्र आदि में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

22/4/26

(ई0 रजी हैदर),
मुख्य अभियंता।
22/04/26